

प्रक्रिया दिनांक आज्ञा पत्र

06.09.21

पत्रावली पेश। प्रकरण में शेष रैस्पोंडेंटस की तामील हेतु इस न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 9(3) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की पालना में रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भिजवाये गये थे। आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार जमाने की तिथि से 30 दिन के भीतर रजिस्टर्ड डाक अथवा प्राप्ति रसीद प्राप्त नहीं होने के कारण तामील पर्याप्त मानी जाती है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 18.10.21 को पेश हो।

[Signature]

28.10.21

पत्रावली पेश। वकील उमयपहा उय.1 वास्ते अदालत दिनांक 7.12.21 को पेश है।

[Signature]

7.12.21

पत्रावली पेश। वकील उमयपहा उय.1 वास्ते अदालत दिनांक 13.1.22 को पेश है।

[Signature]

13.1.22

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सघ ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आलानसार दिनांक 7.3.22 को पेश हो

7.3.22

पत्रावली पेश। वकील उमयपहा उय.1 वास्ते अदालत दिनांक 28.3.22 को पेश है।

[Signature]

28.3.22

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त एव अपीलान्त स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलान्त एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्त अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खरिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार शेकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दायित्व बतल हो।

[Signature]

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
नेत राजस्व अपील अधिकारी
(केम्य बुन्दुनू)